भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.07.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2926 का उत्तर

रेलवे उपरि पुल/रेल अधोगामी पुल

2926. श्री हनुमान बैनिवालः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल अधोगामी पुल/अंडरपास को मंजूरी देने के लिए मानदंड विहित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में रेल अधोगामी पुल/अंडरपास को मंजूरी देने से संबंधित कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार का उक्त प्रस्तावों को मंजूरी देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

mm

रेलवे उपरि पुल/रेल अधोगामी पुल के संबंध में दिनांक 10.07.2019 को लोक सभा में श्री हनुमान बैनिवाल के अतारांकित प्रश्न सं. 2926 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): जी हां।

(i) 1 लाख से अधिक गाड़ी वाहन इकाई (टीवीयू) वाले समपार लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी / निचले सड़क पुल द्वारा बदलाव के लिए अर्हक हैं।

(ii) निम्न क्षेत्रों में 1 लाख से कम गाड़ी वाहन इकाई वाले समपारों पर भी लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी /निचले सड़क पुल के बदलाव के बारे में विचार किया जा सकता है।

- **उपनगरीय खंड जहां गाड़ी सेवाओं की बारंबारता अधिक है, और**
- **नजदीकी स्टेशन जहां या तो शंटिंग परिचालनों के कारण अथवा गाड़ियों के बहुदिशिक आगमन/प्रस्थान अथवा गाड़ियों के स्थापन आदि के कारण सड़क यातायात की रूकौनी बहुत अधिक होती है।**

बहरहाल, समपार, जो लागत में भागीदारी के आधार पर निचले सड़क पुल (आरयूबी) की स्वीकृति के लिए अर्हक नहीं है, उन्हें, यदि तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक पाया जाए, सब-वे का निर्माण करके समाप्त किए जाने की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार के सब-वे की ऊर्ध्वाधर निकासी 5.0 मीटर से कम रखी जानी चाहिए और उन्हें रेलवे की लागत पर स्वीकृत किया जाना चाहिए अर्थात उस सब-वे (रेलवे भूमि के भीतर अथवा बाहर पुल और पहुंच मार्ग का हिस्सा) के निर्माण की समूची आरंभिक लागत और उस सब-वे खास की भावी अनुरक्षण लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी।

यदि सब-वे के निर्माण के प्रयोजन से समपार से गुजरने वाली सड़क के अतिरिक्त भी भूमि अपेक्षित होती है, तो राज्य सरकार रेलवे क्षेत्र के बाहर भूमि अधिगृहीत करके बाधामुक्त और निशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, सब-वे से गुजरने वाली सड़क के अनुरक्षण, रोशनी व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, डायवर्जन रोड और रेलवे के हिस्से में किसी अन्य सहायक निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी रेलवे की होगी और रेलवे के हिस्से से अलग अनुरक्षण

की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा, यह भी विनिश्चय किया गया है कि सब-वे का निर्माण करने से पूर्व रेलवे द्वारा संबंधित सड़क प्राधिकरण से समपार को बंद करने की सहमति प्राप्त की जाएगी और अनुरक्षण संबंधी जिम्मेदारियों का निर्धारण स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।

राजस्थान राज्य में चंदेरिया-रतलाम खंड पर समपार सं. 110 के स्थान पर निचले सड़क पुल के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव वर्ष 2019-20 के बजट में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

****

mm